

दिनांक-10.03.2025 को कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार पटना की अध्यक्षता में हुई चिकित्सा पर्षद की बैठक में बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज हेतु स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित कार्यवाही।

बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर ईलाज कराने की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति देने हेतु दिनांक-10.03.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना के अध्यक्षता में उनके कक्ष में चिकित्सा पर्षद की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्न सदस्य शामिल हुए।

1. डा० कांति कुमारी – संविदा, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, दीघा, पटना।
2. डा० रानी देवी – आयुष बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, हाथिदह, पटना।

चिकित्सा पर्षद के द्वारा निम्न बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को राज्य से बाहर चिकित्सा के अनुशंसा/अनुमति एवं करायी गयी चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार किया गया एवं निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार है:-

क्र० सं०	बीमित व्यक्ति का नाम श्री/श्रीमती	बीमा संख्या	अभ्युक्ति
1.	अजय कुमार, मुजफ्फरपुर, चि०	4216748334	Lucknow प्रवास के दौरान अचानक (Head) Raputre of (L) Cerebral Anurysm and Operated SGPGI, Lucknow Neurology Departement बीमारी का गम्भीरता को देखते हुए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
2.	बालेश्वर मंडल, कहलगाँव, भागलपुर चि०	4215175417	इनका ईलाज Saroj Gupta Cancer Centre & Research Institute M.G. Road, Thakurpukur, Kolkata में Cancer जैसे गंभीर बीमारी का ईलाज हुआ था जहाँ निधन हो गया। अतः बीमारी की गम्भीरता और निधन के पश्चात् घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
3.	श्याम बाबु, कंकड़बाग, चि०	4201297605	इनका ईलाज AIIMS, Delhi में Department of Eye में चल रहा है। Next Visit दिनांक-22.04.2025 है। अतः जाने एवं आगे भी ईलाज कराने की भी अनुमति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
4.	नरेन्द्र कुमार, मुजफ्फरपुर, चि०	5217453041	अनुपस्थिति

5.	बजरंगी कुमार, मुजफ्फरपुर, चि०	4215905549	ईलाज हेतु आवश्यकता अनुसार जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
6.	नवीन कुमार मिश्रा, कहलगाँव, भागलपुर चि०	4215231871	इनका ईलाज CMC, Vellore Department of Neurology में चल रहा है। Next Visit 21 मई, 2025 है। अतः जाने एवं आगें भी ईलाज हेतु अनुमति दी जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)
7.	ईशा देवी, क्षे० कार्यालय, क०रा०बी०नि०, पटना	4216026641	Max Hospital, Delhi में Post Renal Transplant Check-up हेतु जाने एवं आगे भी ईलाज कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। (निर्णय- स्वीकृत)

शर्त:-

हितलाभ कि पात्रता नहीं होने पर चिकित्सा पर्षद द्वारा प्रदान की गयी उपरोक्त स्वीकृति/घटनोत्तर स्वीकृति निरस्त माना जायेगा।

ह०/-

(डा० ब्रजनन्दन प्रसाद)

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

पटना, दिनांक-

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि०-56/2015-Vol-XI-

प्रतिलिपि- संबंधित प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहार को निदेश दिया जाता है कि बीमित व्यक्तियों को अपने स्तर से भी सूचित करें एवं संबंधित बीमित व्यक्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, चिकित्सा सेवायें

ज्ञाप संख्या-एसीस-03/नि०-56/2015-Vol-XI- 2009

पटना, दिनांक- 18-03-2025

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।



निदेशक, चिकित्सा सेवायें